न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील सख्या :– 53/2021

श्रीमती सरोज देवी धर्म पत्नी श्री रामसिंह जाति मीणा निवासी मकान नं. डी–272 सिद्धार्थ नगर मालवीय नगर बाईपास जयपुर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)
2. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर एक्ट विरूद्व निर्णय तहसीलदार कोटपूतली बाबत नामान्तरकरण संख्या 1701 ग्राम बडाबास तहसील कोटपूतली निर्णय दिनांक 15/7/2017 एवं नामा.सं. 2060 ग्राम बडाबास तहसील कोटपूतली निर्णय दिनांक 19/6/2018 एवं आदेश द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल कोटपूतली दिनांक 31/3/2018 कमांक संख्या 5220/2018 जिसके द्वारा आराजी हाल ख.नं. 41/0.47, 42/0.29, 43/0.71 वाके मौजा बडाबास बाबत धारा 90ए एल.आर एक्ट के आदेश पारित करें।

निर्णय

दिनांक 29.12.2021

1. अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1701 ग्राम बडाबास तहसील कोटपूतली निर्णय दिनांक 15/7/2017 एवं नामा.सं. 2060 ग्राम बडाबास तहसील कोटपूतली निर्णय दिनांक 19/6/2018 एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल कोटपूतली के आदेश कमांक 5220/2018 दिनांक 31/3/2018 के विरूद्व अपील पेश की है जिसमें संक्षेप में तथ्य इस प्रकार पेश किये हैं :–

आराजी हाल खसरा नम्बर 41/0.47, 42/0.29, 43/0.17 वाके मौजा बडाबास के 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार छाजू पुत्र मूला जाति मीणा निवासी बडाबास थे। उन्होंने अपने उपरोक्त आराजी में से 1/8 हिस्से की भूमि जरिये रजिस्टर्ड विकय–पत्र से अपीलान्ट को 22/8/2013 को बेचान कर दिया था जिसका नामा.सं. 1701 ग्राम बडाबास दिनांक 22/10/2013 के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट का नाम दर्ज कर दिया था परन्तु तहसीलदार कोटपूतली द्वारा अपीलान्ट को सूचित किये बिना दिनांक 15/7/2017 को यह जाहिर करते हुए की मुताबिक निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली अपील संख्या 25/2012 निर्णय दिनांक 04/6/2012 की पालना में उक्त नामा खारिज कर दिया गया, जबकि श्रीमान् न्यायालय द्वारा पारित निर्णय किया कि सभी पक्षकारान् को नियमानुसार सूचित कर सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावें। तहसीलदार कोटपूतली द्वारा रिमाण्ड पत्रावली बाबत नामा.सं. 1415 वाके

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

मौजा बडाबास तहसील कोटपूतली में न तो अपीलान्ट को सूचित किया तथा ना ही युक्तियुक्त अवसर दिया गया। तहसीलदार कोटपूतली ने अपने निर्णय 03/02/2014 के द्वारा आराजी ख.नं. 41, 42, 43 वाके मौजा बडाबास अपीलान्ट के नाम दर्ज नामा.सं. 1701 ग्राम बडाबास को निरस्त कर नामा.सं. 1415 स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट का नाम हटाकर अपीलान्ट को बिना सूचित किये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल कोटपूतली द्वारा दिनांक 31/3/2018 के द्वारा उपरोक्त आराजी ख.नं. 41, 42, 43 के सम्पूर्ण रकबे को धारा 90ए एल.आर एक्ट के तहत् कृषि भूमि से गैर कृषि उपयोग हेतु उक्त आराजी भूमि को नगरपालिका के नाम आदेश पारित किये एवं तहसीलदार कोटपूतली द्वारा नामा.सं. 2060 ग्राम बडाबास के नामा. को 14/6/2018 को खारिज कर दिया। इसके उपरान्त प्रभावी पक्षकार को बिना सुनवायी का अवसर दिये कोयली पत्नी दुलीचन्द हंसराज कृष्ण पुत्रान् दुलीचन्द एवं अपीलान्ट के 281/1404 हिस्से की भूमि को SBI बैंक रहन से प्रभावित जाहिर करते हुये शेष भूमि को नगरपालिका मण्डल कोटपूतली के नाम दर्ज किये जाने आदेश पारित कर नामा. 2060 ग्राम बडाबास 19/6/2018 को नामा स्वीकार करने के आदेश पारित किये जिसकी जानकारी अपीलान्ट को तकास्मा के लिए जमाबंदी की नकल हेतु पटवारी हल्का के पास जाने से जानकारी हुयी, जो बिना देरी किये उपरोक्त निर्णयों की नकल प्राप्त कर श्रीमान् के समक्ष अपील पेश की है जिसके संलग्न मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र संलग्न है।

2. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्व एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यह है कि आराजी हाल ख.नं. 41, 42, 43 वाके मौजा बडाबास के राजस्व रिकॉर्ड में छाजू पुत्र मूला का नाम 1/4 हिस्से की बजाये 1/8 में दर्ज था । शेष रिकॉर्ड दुरूस्ती हेतु न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली के यहां मु.नं. 105/2015 वाद बजरंग बनाम गुलाबी देवी प्रस्तुत कर रखा है। सहायक कलक्टर कोटपूतली ने अपने निर्णय 04/3/2020 को छाजू पुत्र मूला व उसकी मृत्यु उपरान्त उनके वारिसान् का हिस्सा 1/8 की बजाये 1/4 किये जाने के आदेश पारित किये है।
4. यह है कि आराजी हाल ख.नं. 41/0.47, 42/0.29, 43/0.71 मौजा बडाबास ने छाजू पुत्र मूला ने 1/8 हिस्से की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र से अपीलान्ट को बेचान कर दिया था। तहसीलदार कोटपूतली ने विक्रय–पत्र के अनुसार अपीलान्ट के नाम नामा.सं. 1701 स्वीकार कर अपीलान्ट का नाम दर्ज कर दिया इसके उपरान्त अपीलान्ट को बिना सूचित किये दिनांक 15/7/2017 को उक्त नामा. को खारिज कर राजस्व रिकॉर्ड में से अपीलान्ट का नाम हटाये जाने के आदेश पारित किये है, जो विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
5. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय कोटपूतली द्वारा नामा.सं. 1701 की पुश्त पर श्रीमान् अतिरिक्त कलक्टर महोदय, कोटपूतली की अपील संख्या 25/2012 की अनुसरण में उक्त नामा.सं. 1701 ग्राम बडाबास खारिज किये जाने का निर्णय चस्पा किया गया है, जबकि अपील संख्या 25/2012 निर्णय 04/6/2012 के द्वारा न्यायालय श्रीमान् ने

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

नामा.सं. 1415 निर्णय दिनांक 30/11/2011 के खारिज आदेश को निरस्त करते हुये प्रकरण रिमाण्ड कर पुनः निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये थे। नामा.सं. 1701 को निरस्त करने के आदेश कतई नही दिये गये थे, परन्तु श्रीमान् न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर के निर्णय आदेश 04/6/2012 की गलत व्याख्या करते हुये तहसीलदार कोटपूतली ने अपने निर्णय 15/7/2017 के द्वारा अपीलान्ट के हक में तस्दीक नामा. 1701 ग्राम बडाबास खारिज कर्ने की भूल की है।

6. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली द्वारा नामा.सं. 1701 की पुश्त पर स्वयं द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03/02/2014 की अनुपालना में नामा. निरस्त करने के आदेश वशपा किये है, जबकि तहसीलदार कोटपूतली ने रिमाण्ड पत्रावली बाबत नामा.सं. 1415 ग्राम बडाबास में पारित निर्णय 03/02/2014 के द्वारा बिना नामा.सं. 1415 ग्राम बडाबास को स्वीकार किये नये सिरे से मुताबिक विक्रय-पत्र राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश पारित किये ऐसी सूरत में पटवारी हल्का को नये सिरे से नामा. दर्ज कर तहसीलदार कोटपूतली के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत करना चाहिए था, परन्तु उपरोक्त निर्णय के तीन वर्ष 6 माह पश्चात् तहसीलदार कोटपूतली ने अपीलान्ट के हक में स्वीकार नामा.सं. 1701 ग्राम बडाबास को पूर्व पीठासीन अधिकारी 03/02/2014 की गलत व्याख्या करते हुये खारित करने की भारी भूल की है।

7. यह है कि आराजी हाल ख.नं. 41, 42, 43 वाके मौजा बडाबास के अपीलान्ट रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थे तथा मौके पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल कोटपूतली द्वारा उक्त आराजी के खातेदारों को बिना सूचित किये एवं बिना सुनवायी का अवसर दिये उपरोक्त भूमि को 31/3/2018 को धारा 90ए आल.आर एक्ट के तहत् नगरपालिका मण्डल कोटपूतली के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये है, जो विधि विरूद्व होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

8. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली ने पटवारी हल्का बडाबास द्वारा दर्ज नामा.सं. 2060 को अपने निर्णय दिनांक 14/6/2018 के द्वारा खारिज कर दिया था यानि धारा 90ए के आदेश एल.आर एक्ट के आदेश विधि सम्मत नहीं होने के कारण उनके द्वारा खारिज कर दिया गया था, परन्तु दिनांक 19/6/2018 को बिना उपरोक्त आराजी के समस्त खातेदारान् को सुनवायी का अवसर दिये अपने आदेश दिनांक 19/6/2018 के द्वारा उपरोक्त नामा. पर अपने द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14/6/2018 को पारित निर्णय को रिव्यु करते हुये उक्त नामा. आंशिक रूप से स्वीकार करने की भारी भूल की है।

9. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में व बिना अपीलान्ट को सूचित किये व बिना अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिये विधि विरूद्व निर्णय पारित किया है जो कानूनन निरस्त किये जाने योग्य है।

10. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किये गये है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी अपीलान्ट

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

को होना किसी भी सूरत में सम्भव नहीं थी अपितु अपीलान्ट को जानकारी 23/11/2021 को स्वयं की कृषि भूमि का तकास्मा कराने हेतु पत्रावली तैयार कराने हेतु जमाबंदी की नकल हेतु पटवारी के पास जाने पर हुयी जिस पर बिना देरी किये उपरोक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर श्रीमान् के समक्ष अपील मय दफा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया है।

11. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के विरूद्व अपील सुनने व तय करने का अधिकार न्यायालय श्रीमान् को है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय तहसीलदार कोटपूतली बाबत नामा.सं. 1701 ग्राम बडाबास तहसील कोटपूतली निर्णय दिनांक 15/7/2017 को निरस्त कर नामा स्वीकार किया जावें एवं नामा.सं. 2060 ग्राम बडाबास तहसील कोटपूतली निर्णय दिनांक 19/6/2018 एवं आदेश द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल कोटपूतली दिनांक 31/3/2018 कमांक संख्या 5220/2018 जिसके द्वारा आराजी ख.नं. 41/0.47, 42/0.29, 43/0.71 वाके मौजा बडाबास बाबत धारा 90ए एल.आर एक्ट के पारित आदेश को निरस्त कर ख.नं. 41/0.47, 42/0.29, 43/0.71 वाके मौजा बडाबास तहसील कोटपूतली में मुताबिक निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली दिनांक 04/3/2020 मु.नं. 105/2015 ब उनवान बजरंग बनाम गुलाबी खातेदारान का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश पारित करें।

12. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी। रिपोर्ट समायत पायी जाने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से श्री सुरेश कुमार सैनी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 उपस्थित होकर जवाब के लिए समय चाहा परन्तु प्रकरण में किसी प्रकार का जवाब पेश नहीं किया जाकर लिखित बहस पेश की जो संलग्न पत्रावली है।

13. बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 41/0.47, 42/0.39, 43/0.71 वाके मौजा बडाबास के 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार छाजूराम पुत्र मूला जाति मीणा था। छाजूराम पुत्र मूला ने 1/8 हिस्से की भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र से अपीलान्ट को दिनांक 22/8/2013 को बेचान कर दिया गया। तहसीलदार कोटपूतली द्वारा नामा.सं. 1701 दिनांक 22/10/2013 का स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट का नाम दर्ज कर दिया था। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली द्वारा अपील संख्या 25/2012 में पारित ब उनवान रामकुवार बनाम सरकार में पारित निर्णय 03/02/2014 की अनुपालना में उक्त नामा. को अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त नामा.सं. 1701 वाके ग्राम बडाबास खारिज किया है, जबकि अपील संख्या 25/2012 में पारित निर्णय 04/6/2012 के द्वारा नामा.सं. 1415 दिनांक 30/11/2011 को अपास्त करते हुये तहसीलदार कोटपूतली को प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये गये थे कि सभी पक्षकारान् को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उक्त नामा. 1701 को निरस्त करने के कोई

अति. जिला कलेक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

आदेश नहीं दिये गये थे। तहसीलदार कोटपूतली द्वारा नामा.सं. 1701 की पुश्त पर स्वयं द्वारा पारित निर्णय 03/02/2014 की अनुपालना में नामा. निरस्त करने के आदेश चस्पा किये है जबकि तहसीलदार कोटपूतली ने रिमाण्ड पत्रावली बाबत नामा.सं. 1415 वाके ग्राम बडाबास में पारित निर्णय 03/02/2014 के द्वारा नामा. को बिना स्वीकार किये मुताबिक विकय–पत्र के अनुसार नये सिरे से अमल दरामद करने के आदेश पारित किये ऐसी सूरत में पटवारी हल्का को नये सिरे से नामा. दर्ज कर तहसीलदार कोटपूतली के समक्ष निर्णय हेतु पेश करना चाहिए था परन्तु अपीलान्ट के पक्ष में स्वीकार नामा.सं. 1701 वाके ग्राम बडाबास पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित निर्णय 03/2/2014 की गलत व्याख्या करते हुये खारिज कर दिया जो गैर कानूनी है, जबकि अपीलान्ट आराजी ख.नं. 41, 42, 43 वाके ग्रम बडाबास के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में थे। अधिनस्थ न्यायालय अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल कोटपूतली द्वारा उक्त आराजी से समस्त खातेदारान् को बिना सुनवायी का अवसर दिये आदेश कमांक 5220 दिनांक 31/3/2018 के अनुसार धारा 90ए एल.आर एक्ट के तहत् नगरपालिका मण्डल कोटपूतली के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये है, जिसका नामा.सं. 2060 वाके ग्राम बडाबास दिनांक 14/6/2018 को खारिज कर दिया गया था। उक्त नामा. में पारित निर्णय 14/6/2018 को रिव्यू करते हुये दिनांक 19/6/2018 को आंशिक स्वीकार किया है जो गैर कानूनी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी दिनांक 23/11/2021 को जमाबंदी नकल लेने बाबत तकास्मा कराने हेतु पटवारी हल्का से मिलने पर हुयी जानकारी से अपील के साथ मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र दफा–5 संलग्न है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर नामा.सं. 1701 ग्राम बडाबास निर्णय 15/7/2017 को निरस्त कर नामा. स्वीकार किया जावें एवं नामा.सं. 2060 ग्राम बडाबास तहसील कोटपूतली निर्णय दिनांक 19/6/2018 एवं आदेश द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल कोटपूतली 31/3/2018 कमांक 5220/2018 बाबत 90ए एल.आर एक्ट में पारित आदेश को निरस्त कर न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली दिनांक 04/3/2020 मु.नं. 105/2015 ब उनवानी बजरंग बनाम खातेदारान् का नाम राजस्व रिकॉर्ड मु दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये अभिकथन किया कि अपीलान्ट ने भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए के अधीन आराजी ख.नं. 41, 42, 43 वाके मौजा बडाबास अपने हिस्से की भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुक्षा देने के लिए आवेदन नगरपालिका मण्डल को किया जिसके तहत् 90ए के तहत् कार्यवाही हुयी है। इस सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा दस्तावेजात् पेश किये है। आवेदन प्रस्तुत करने एवं समस्त दस्तावेजात् पेश होने पर ही नगरपालिका द्वारा 90ए की कार्यवाही की है। उक्त कार्यवाही नगरपालिका द्वारा की है, जिसकी अपील अपीलान्ट द्वारा की गयी है, उसे सुनने का अधिकार श्रीमान् न्यायालय को नहीं है। अतः अपील खारिज फरमावें।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)